(वाद सं०– 5055/4/30/2020)

26.07.2022

नोटिस के बावजूद भी परिवादी, राकेश कुमार, उपस्थित नहीं हुए।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, राकेश कुमार, की ओर से दिनांक–17.01.2020 को प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय प्रखण्ड में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होमों से सम्बन्धित है, जिसमें उन नर्सिंग होमों द्वारा मरीजों से गलत रूप से पैसा लेकर उनका Quack से ईलाज कराने का उल्लेख है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी के परिवाद–पत्र के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, दलसिंहसराय से प्रसंगाधीन मामले में जाँच करवाया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, दलसिंहसराय द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया कि दलसिंहसराय में 08 (आठ) नर्सिंग होम चिकित्सीय मानदण्डों के अनुरूप नहीं चल रहे है। उनके द्वारा ऐसे 08 (आठ) नर्सिंग होम के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को निर्देश दिया गया है। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दलसिंहसराय के 15 (पन्द्रह) नर्सिंग होम के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है तथा मामला अन्वेषणान्तर्गत है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि स्थानीय प्रशासन व पुलिस पदाधिकारियों के संरक्षण में अभी भी दलसिंहसराय में कई अवैध नर्सिंग होम चल रहे है।

परिवादी को अपने मामले के समर्थन में साक्ष्यों के साथ आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से इस आशय का एक प्रत्युत्तर राज्य आयोग को समर्पित किया गया कि प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों द्वारा मात्र खानापूर्ति करने हेतु अवैध रूप से संचालित हो रहे नर्सिंग होम के विरूद्ध आपराधिक मामला संस्थित कर मामले की लीपापोती की जा रही है तथा अभी भी दलसिंहसराय अनुमण्डल में अवैध रूप से बिना चिकित्सीय मानदण्डों को पूरा किये अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रहे है।

अब जबकि पुलिस द्वारा प्रसंगाधीन मामले में अवैध एवं बिना चिकित्सीय मानदण्डों को पूरा किये संचालित नर्सिंग होमों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से अनुरोध है कि बिना चिकित्सीय मानदण्डों के संचालित हो रहे नर्सिंग होमों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई की जाय साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर से अनुरोध है कि बिना चिकित्सीय मानदण्डों के संचालित नर्सिंग होमों के विरूद्ध संस्थित आपराधिक मामले में यथाशीघ्र अन्वेषण समाप्त कर आरोप–पत्र/अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

अतः उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर व पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए उसकी एक प्रति परिवादी को भी सूचनार्थ भेज दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक